न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव
(पीठासीन अधिकारी श्री हनुमानाराम, RAS)

राजस्व आवेदन संख्या 127 / 2023 अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1 सतीश पुत्र श्रीराम 2 अणसीदेवी पत्नी श्रीराम 3 रूपकिशोर चौधरी पुत्र गजाराम 4 दलाराम पुत्र गजाराम 5 मीरोदेवी पत्नी गजाराम जाति जाट, निवासी जीयाणियों की बस्ती तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिव 2. अचलाराम पुत्र भूराराम 3. चूनाराम पुत्र भूराराम 4. गंगाराम पुत्र धीराराम 5. आसूराम पुत्र धीराराम 6. ठाकराराम पुत्र धीराराम 7. जेतीदेवी पत्नी धीराराम 8. मुकनाराम पुत्र मोडाराम जाति जाट, निवासी जीयाणियों की बस्ती तहसील शिव, जिला बाड़मेर 9. शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, मौखाब

उपस्थित :— अधिवक्ता प्रार्थीगण :— श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।
अधिवक्ता विप्रार्थीगण :— श्री देवीलाल कुमावत।

उपखण्ड अधिकारी, शिव सत्यमेव जयते जिला-बाड़मेर

—:: आदेश ::—

दिनांक : 04.11.2024

प्रार्थीगण के आवेदन पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 2 से 8 व ईसरा वल्द माला की पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त के खेत मौजा जीयाणियों की बस्ती, तहसील शिव के खसरा नम्बर 668/1 रकबा 265.02 बीघा व खसरा नम्बर 668/3 रकबा 03.00 बीघा की आयी हुई थी। उक्त विवादित आराजी वर्तमान रेकर्ड में खसरा नम्बर 668 रकबा 19.8458 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी तथा खसरा नम्बर 800/668, 803/668 रकबा क्रमशः 11.5983, 0.4856 हैक्टेयर भूमि विप्रार्थी संख्या 2 से 8 की संयुक्त खातेदारी दर्ज है। उक्त आराजी के संबध में प्रशासन गांवों के संग अभियान 2001 में पक्षकारान् की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 668 की भूमि का आपसी सहमति से विभाजन प्रस्ताव 16.10.2001 को स्वीकार किया गया। उक्त विभाजन का हल्का पटवारी द्वारा नामांतरकरण संख्या 66 पारित करते हुए राजस्व रेकर्ड मे अमलदरामद किया, जो वर्तमान रेकर्ड में कायम है। उक्त नामांतरकरण में हल्का पटवारी द्वारा पक्षकारान् के खातेदारी हिस्सा के रकबे का सही अंकन किया गया किन्तु लट्ठा नक्शा में खसरा नम्बर 668 की 03.00 बीघा भूमि की तरमीम खसरा नम्बर 721 में दर्शा दी गई, जबकि मूल खसरा नम्बर 668 व 721 वक्त बंदोबस्त के खसरा है एवं उक्त खसरा के मध्य नीली स्याही से सीमा भी की हुई है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण मौके पर अपने अपने हिस्से की भूमि पर सहमति विभाजन अनुसार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है, किन्तु उक्त त्रूटिपूर्ण तरमीम के कारण मौका व कब्जा को लेकर पक्षकारान् के मध्य विवाद होने की प्रबल संभावना है तथा मौके पर कब्जा भी राजस्व रेकर्ड की तरमीम के विपरीत हो गया है। वर्तमान में उक्त गलत त्रूटिपूर्ण तरमीम का अनुचित लाभ उठाकर विप्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि का बैचान करने पर आमादा है। यदि उक्त त्रूटिपूर्ण तरमीम का दुरस्त किये बगैर भूमि का [illegible] हस्तांतरण होता है तो इससे मौके पर कब्जा काश्त को लेकर विवाद की स्थिति [illegible] हो[illegible] अतः प्रार्थीगण द्वारा उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड [illegible] त्रूटिपूर्ण तरमीम को निरस्त करवाते हुए वर्तमान में राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में अंकित रकबा अनुसार राजस्व रेकर्ड न[illegible] तरमीम दुरस्त करवाने तथा मौके पर पक्षकारान् के मा[illegible] कब्जा काश्त अनुसार [illegible] दुरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2025.01.30 16:48:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तामिली करवाई गई। तहसीलदार शिव से वर्तमान मौका स्थिति के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित पक्षकारान् एवं मौतबिरान के रूबरू जांच की गई, जिसमें मौके पर विद्यमान कब्जा काश्त व रेकर्ड एवं वर्तमान लट्ठा नक्शा में अंकित तरमीम में भिन्नता है। वर्तमान रेकर्ड अनुसार मूल ग्राम काश्मीर के नामांतरकरण संख्या 302 के अनुसार खसरा नम्बर 668/1 रकबा 265.02 बीघा व खसरा नम्बर 668/3 रकबा 03.00 बीघा के खातेदार मोडा, चिमा माला पिता प्रभू कौम जाट सा. देह व खसरा नम्बर 668/2 रकबा 4.10 बीघा भूमि राजस्थान सरकार के नाम दर्ज हुई। तत्पश्चात् सहमति विभाजन अनुसार ग्राम जीयाणियों की बस्ती के नामांतरकरण संख्या 66 की पुश्त पर दर्शायी गई तरमीम खसरा नम्बर 721 में दर्शायी गई है, जबकि खसरा नम्बर 668/2 मूल खसरा नम्बर 668 का भाग है न कि खसरा नम्बर 721 का। वर्तमान में भू–नक्शा व लट्ठा की तरमीम में भी मिलान करने पर भिन्नता पाई गई। तरमीम खतौनी परिशिष्ट अ, पुराना लट्ठा तथा भू नक्शा तीनों में तरमीम भिन्न है। तरमीम खतौनी परिशिष्ट अ अनुसार मौके पर मार्ग व सड़क के बीच में खाली जगह नहीं बचती है। पुराने लट्ठा व विभाजन में दर्शायी गई तरमीम खसरा नम्बर 721 में आई हुई है, जबकि खसरा नम्बर 668/3 (वर्तमान नवीन खसरा नम्बर 803/668) मूल खसरा नम्बर 668 का भाग है। साथ ही मौके पर कब्जा परिशिष्ट ब अनुसार बताया जाकर तरमीम दुरस्ती प्रस्तावित की गई है। विप्रार्थी संख्या 2 से 8 की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाब पेश कर पक्षकारान् के मौके पर कब्जा काश्त एवं लट्ठा ट्रेस की तरमीम में कोई भिन्नता नहीं होने पर प्रार्थीगण तरमीम दुरस्ती के अधिकारी नहीं होने से आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है। शेष विप्रार्थीगण बावजूद तामिली अनुपस्थित रहे है।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा मे विद्यमान तरमीम को निरस्त किया जाकर तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया। विप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि पक्षकारान् के मौके पर कब्जा काश्त एवं लट्ठा ट्रेस की तरमीम में कोई भिन्नता नहीं होने पर प्रार्थीगण तरमीम दुरस्ती के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त आवेदन मनगढ़ंत एवं झूठे तथ्यों के आधार पर पेश किया हुआ होने से मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी के वर्तमान में राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में अंकित रकबा अनुसार राजस्व रेकर्ड नक्शा में तरमीम दुरस्त करवाने तथा मौके पर पक्षकारान् के माफिक कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट में वर्तमान रेकर्ड अनुसार मूल ग्राम काश्मीर के नामांतरकरण संख्या 302 के अनुसार खसरा नम्बर 668/1 रकबा 265.02 बीघा व खसरा नम्बर 668/3 रकबा 03.00 बीघा के खातेदार मोडा, चिमा माला पिता प्रभू कौम जाट सा. देह व खसरा नम्बर 668/2 रकबा 4.10 बीघा भूमि राजस्थान सरकार के नाम दर्ज हुई। तत्पश्चात् सहमति विभाजन अनुसार ग्राम जीयाणियों की बस्ती के नामांतरकरण संख्या 66 की पुश्त पर दर्शायी गई तरमीम खसरा नम्बर 721 में दर्शायी गई है, जबकि खसरा नम्बर 668/2 मूल खसरा नम्बर 668 का भाग है न कि खसरा नम्बर 721 का। वर्तमान में भू–नक्शा व लट्ठा की तरमीम में भी मिलान करने पर भिन्नता पाई गई। तरमीम खतौनी परिशिष्ट अ, पुराना लट्ठा तथा भू नक्शा तीनों में तरमीम भिन्न है। तरमीम खतौनी परिशिष्ट अ अनुसार मौके पर मार्ग व सड़क के बीच में खाली जगह नहीं बचती है। पुराने लट्ठा व विभाजन में दर्शायी गई तरमीम खसरा नम्बर 721 में आई हुई है, जबकि खसरा नम्बर 668/3 (वर्तमान नवीन खसरा नम्बर 803/668) मूल खसरा नम्बर 668 का भाग है। साथ ही मौके पर कब्जा परिशिष्ट ब अनुसार बताया जाकर तरमीम दुरस्ती प्रस्तावित की गई है। विप्रार्थी संख्या 2 से 8

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2025.01.30 16:48:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner

अधिवक्ता द्वारा उक्त तरमीम दुरस्ती को गलत बताया जाकर आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है, जबकि तहसीलदार मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि सहमति विभाजन अनुसार ग्राम जीयाणियों की बस्ती के नामांतरकरण संख्या 66 की पुश्त पर दर्शायी गई तरमीम खसरा नम्बर 721 में दर्शायी गई है, जबकि खसरा नम्बर 668/2 मूल खसरा नम्बर 668 का भाग है न कि खसरा नम्बर 721 का। पुराने लट्ठा व विभाजन में दर्शायी गई तरमीम खसरा नम्बर 721 में आई हुई है, जबकि खसरा नम्बर 668/3 (वर्तमान नवीन खसरा नम्बर 803/668) मूल खसरा नम्बर 668 का भाग है। तरमीम खतौनी परिशिष्ट अ, पुराना लट्ठा तथा भू नक्शा तीनों में तरमीम भिन्न होने से मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट ब अनुसार तरमीम दुरस्ती प्रस्तावित की गई है। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी की तरमीम तद्नुसार दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम जीयाणियों की बस्ती, तहसील शिव के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 668 रकबा 19.8458 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 800/668, 803/668 रकबा क्रमशः 11.5983, 0.4856 हैक्टेयर भूमि की राजस्व रेकर्ड लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त कर तहसीलदार से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शिव को तद्नुसार तरमीम दुरस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। बैंक हित उक्त तरमीम से अप्रभावित रहेंगे। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी, शिव जिला-बाड़मेर सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 04.11.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2025.01.30 16:48:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner